# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 31/2020 | 08/10/2020 | 07/11/2025 |

दयाकृष्ण पुत्र भंवरलाल जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. भँवरलाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
2. औकारलाल पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
3. जमनालाल पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
4. मुलचन्द पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
5. राधाकिशन पुत्र भँवरलाल जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)
7. पन्नालाल पुत्र रामकुँवार जाति धाकड निवासी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज०)

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

**निर्णय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा भू०अभि०नि० क्षेत्र इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०) की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 682 पुराना 633 में ख0नं0 104/2770 की 0.82 हेक्टर नहरी प्रथम, ख0नं0 1064 की 0.57 हेक्टर नहरी द्वितिय ख0नं0 1067 की 0.31 हेक्टर बारानी प्रथम, ख0नं0 2603 की 0.21 हेक्टर तीर, ख0नं0 436 की 0.15 हेक्टर नहरी प्रथम, ख०नं० 586 रकबा 3.53 है० नहरी प्रथम ख0नं0 730 की 2.36 हेक्टर नहरी प्रथम कुल किता 7 कुल रकबा 7.95 हेक्टर भूमि स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। उपर वर्णित विवादित भूमि पैत्रक सम्पति है। जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी कम 1 को उनके पिता रामनाथ से विरासत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैत्रक होने से प्रार्थी का जन्म से ही विवादित भूमि मे हक व अधिकार (हित) उत्पन्न हो गया है व प्रार्थी अपने निहित हिस्से की भूमि की घोषणा करवा कर पृथक से बंटवारा करने का कानूनन अधिकारी है। विवादित भूमि में अप्रार्थी कम 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। जिसमे अप्रार्थी कम 1 ता 5 समभाग के हकदार है। जिसमे प्रार्थी का जन्म से ही 1/6 हिस्सा बनता है। तथा प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण इसी अनुरूप विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण काबिज है। प्रार्थी विवादित भूमि मे अपने कुल जोत का 1/6 अर्थात (1.325) है० हिस्से की भूमि पर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है किन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम नही होने से प्रार्थी को भू सुधार हेतु कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्यो में बाधा उत्पन्न होने लग गयी है इन परिस्थितियो मे प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड मे अपने हिस्से की घोषणा करवा कर उसका प्रत्यक्ष बंटवारा करवा कर पृथक से लगान कायम करवाये। दिनाक 09.09.2020 को अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी को हक व कब्जे की भूमि पर हंकाई करने से रोका तो प्रार्थी ने बंटवारा करने की अपने पिता अप्रार्थी क्रम 1 से निवेदन किया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी क्रम 6 से उसके हिस्से की भूमि में बंटवारा करने हेतु अनुनय

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

विनय किया तो साफ इन्कार करते हुये कहा कि न्यायालय में जाकर कार्यवाही करो इस पर प्रार्थी को न्यायालय श्रीमान मे तदर्थ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। वाद कारण दिनाक 09.09.2020 को प्रार्थी द्वारा पिता से बंटवारा करने बाबत निवेदन करने व उसके द्वारा साफ इन्कार करने पर लगातार उत्पन्न है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण आये दिन परेशान करते है एवं प्रार्थी के हिस्से मे आयी पारिवारीक बंटवारे के अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है व प्रार्थ्जी को अपने हिस्से की भूमि मे ऋण लेने व भू सुधार व कर्ता पिलाई जमा करवाने में असुविधा होती है तथा फसल के समय अप्रार्थीगण परेशान करते है प्रार्थी को दिनाक 07.09.2020 को अपने हिस्से में आयी भूमि पर फसल काश्त नही करने की धमकी दी है इस कारण प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे इस हेतु यह प्रार्थन पत्र माननीय न्यायालय मे तदर्थ प्रस्तुत है। यदि अप्रार्थीगण को उक्त अवैध कृत्य से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी। प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 6 के पास अपने अधिकारो की रक्षार्थ गया तो अप्रार्थी कम 6 द्वारा कहा गया कि अदालत में जाकर कार्यवाही करो अप्रार्थी क्रम 6 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण 2 माह अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण धारा 80 सी पी सी का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ पृथक से पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनाक 09.09.2020 को अप्रार्थीगण 1 ता 5 के द्वारा धमकी दी जाने व दिनाक 09.09.2020 को प्रार्थी की कृषि आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर लगातार उत्पन्न है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थी उक्त हिस्से 1/6 पर काबिज काश्त है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है। श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि ग्राम इटावा पटवार क्षेत्र इटावा भू०अ०नि० इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खाता सं० नई 682 पुरानी 633 ख0न0 104/2770 की 0.82 है०, नहरी प्रथम, ख0न0 1064 की 0. 57 है०, नहरी द्वितीय, ख0न0 1067 की 0.31 है० बारानी प्रथम ख0न0 2603 की 0.21 है० तीर, ख0न0 436 की 0.15 है० नहरी प्रथम, ख0न0 586 की 3.53 है० नहरी प्रथम, ख0न0 730 की 2.36 है0 नहरी द्वितीय कुल किता 7 कुल रकबा 7.95 है0 भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 (अर्थात 1.325 है0) अप्रार्थीगण 1 ता 5 एवं अन्य जर्ये प्रतिनिधिगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर उपयोग उपभोग एवं फसल काश्त करने एवं अप्रार्थी कम 1 अपने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन का अनुचित लाभ उठा कर उक्त कृषि आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बेचान दान वसीयत हस्तान्तरण आदि नही करे। प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियो से करवाये। दौराने वाद अप्रार्थीगण प्रार्थी के निहित हिस्से पर कोई मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि गणो से करवाये ।

प्रार्थना पत्र अर्जेंट नेचर का होने के कारण 8.10.2020 को एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जिसके अनुसार ख0न0 104/2770 की 0.82 है०, नहरी प्रथम, ख0न0 1064 की 0. 57 है०, नहरी द्वितीय, ख0न0 1067 की 0.31 है० बारानी प्रथम ख0न0 2603 की 0.21 है० तीर, ख0न0 436 की 0.15 है० नहरी प्रथम, ख0न0 586 की 3.53 है० नहरी प्रथम, ख0न0 730 की 2.36 है0 नहरी द्वितीय कुल किता 7 कुल रकबा 7.95 है0 में प्रार्थी के हिस्से तक अप्रार्थीगण को रिकॉर्ड को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 12.11.2020 को उपस्थित तथा 1 ता 4 की ओ से अधि श्री इन्द्रजीत मीणा द्वारा वकालतनामां पेश किया। प्रार्थी पन्नालाल की ओर अधिवक्ता कमल बसंल ने

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रा. पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने का अनुतोष चाहा गया था। यह प्रा. पत्र दिनांक 20.2.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में कथन अनुसार पन्नालाल पुत्र रामकुंवार जाति धाकड निवासी इटावा द्वारा विवादित भूमि ख.न. 730 रकबा 2.36 है मे से 0.48 है उत्तर दिशा भूमि वाद प्रस्तुत होने से पूर्व प्रति0 1 भंवरलाल से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2019 क्रय की गई तथा कथन किया गया कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा परस्पर दुराभिसंधि कारित करते हुए वादी को उसके वैध अधिकारों से वचिंत करने के दुराशय से वाद प्रस्तुत किया है चूंकि विवादति भूमि में ख.न. 730 रकबा 2.36 भूमि में से उत्तरी दिशा की 0.48 है कृषि भूमि प्रार्थी के हित सान्नहित है अतः प्रार्थी को हस्तगत वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना परम हित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में से ख0सं0 730 रकबा 2.36है0, कृषि भूमि में से उत्तरी दिशा की 0.48है0, कृषि भूमि वाद पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व प्रतिवादी कम 1 भंवरलाल द्वारा प्रार्थी को जरिए वकिय पत्र दिनांक 01.11.2019 विधिवत विक्रय की जा चुकी है। प्रार्थी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी कम 1 द्वारा परस्पर दुरभिसंधि कारित करते हुए वादी को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने के दुराशय से हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया हे। चूंकि विवादित भूमि में से ख0सं0 730 रकबा 2.36है0, भूमि में से उत्तरी दिशा की 0.48है0 कृषि भूमि में प्रार्थी के हित सन्निहित होने से प्रार्थी को हस्तगत वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। प्रा. पत्र का जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 6.5.2024 को प्रस्तुत किया व कथन किया कि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निस्तारण नहीं हुआ है एवं वाद का निस्तारण नहीं होने तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निहित तथ्य विचारणीय नहीं है। क्योंकि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय को ही राजस्व रिकॉर्ड का हिस्सा (भाग) तय करना है एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की स्थिति अजनवी व्यक्ति जैसी है। जिसको प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभयपक्ष बहस सुनकर दिनांक 22/7/2025 को पन्नालाल पुत्र रामकुंवर का प्रार्थना पत्र स्वीकार का वाद पत्र में प्रति0 7 के रूप में संयोजित करने का आदेश दिया गया तथा वादी को संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। दिनांक 5/8/25 को संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जवाब दिनांक 0.09.2025 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी कम 01 द्वारा प्रार्थी व अन्य पुत्रो के शादी विवाह व अन्य कार्यक्रम समाज के रिति–रिवाज अनुसार किये है जिनमे अप्रार्थी कम 01 का काफी खर्चा हुआ तथा वह कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, जब तक अप्रार्थी कम 01 द्वारा कर्ज को नही चुकाया जा सकता तब तक प्रार्थी किसी प्रकार की भूमि की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने व भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी कम 01 द्वारा कई बार कर्ज को संयुक्त रूप से चुकाने के लिये कहा गया तो प्रार्थी द्वारा बलपूर्वक कहा गया कि मुझे तुम लोगो से कोई लेना–देना नही है, तुम्हारे उपर कर्ज चढा हुआ हे उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नही है, तुमने कुर्ज लिया है तुम ही चुकाओगे। अप्रार्थी कम 01 के पास विवादित कृषि आराजी के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत नही है और यदि वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि मे से हिस्सा प्राप्त कर लिया गया तो अप्रार्थी क्रम 01 अपने उपर चढे हुये कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जायेगा जिससे समाज मे उसकी ईज्जत, प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेंगी तथा अप्रार्थी कम 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा अतः जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी 6 का जवाब निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होने के कारण अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी कम 7 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन किया जिसके अनुसार विशेष आपत्तियों अग्रलिखित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मे से खसरा संख्या 730 रकबा 2.36 है0 ,भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति नही है। सेटलमेन्ट 2041–60 से पूर्व रामनाथ बेटा कजोड़, रामकुवार, भंवरलाल बेटे रामनाथ धाकड़ की संयुक्त खातेदारी में अन्य भूमियों के साथ

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

खसरा संख्या 473 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जिनके मध्य सहमति विभाजन हो जाने से जरिए नामान्तरण संख्या 629 दिनांक 28/03/1978 ,खसरा संख्या 473 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि रामकुवार पुत्र रामनाथ को तनहा खातेदारी में प्राप्त हुई तदुपरान्त उक्त भूमि पर राज्य भासन द्वारा केचमेन्ट कार्य किया जाकर बाद केचमेन्ट खसरा संख्या 2659 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा पैमूद किया गयें। ( केचमेन्ट कटौती 17 बिस्वा की गई ) जिसके बाद बंदोबस्त संकिया सम्वत् 2041–60 के उपरान्त गत खसरा संख्या 2659 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि के स्थान पर नवीन खसरा संख्या 730 रकबा 2.36 हे0 पैमुद कर अवैध एवं अधिकारातीत कृत्य कारित करते हये प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज कर दिया गया। विवादित भूमि में से खसरा संख्या 730 रकबा 2.36 है0, भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति नही होने से प्रार्थी का खसरा संख्या 730 रकबा 2.36 है0, भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है। विवादित भूमि मे से खसरा संख्या 730 रकबा 2.36 है0, भूमि मे से उत्तरी दिशा की 0.48 है, कृषि भूमि वाद पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व अप्रार्थी क्रम 1 से जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/11/2019 विधिवत् क्रय की जा चुकी है। अप्रार्थी क्रम 7 विक्रय पत्र दिनांक 01/11/2019 के आधार पर क्रय की गई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दिया जाने से अप्रार्थी क्रम 7 के पक्ष में क्रय की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज नही हो सका। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन नही है। जबकि अप्रार्थी क्रम 7 के पक्ष में विवादित भूमि मे से खसरा संख्या 730 रकबा 2.36 है0, में से उत्तरी दिशा कि 0.48 है0, भूमि का सदभावी केता होने से प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन बनता है। यदि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी क्रम 7 द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/11/2019 विधिवत् क्रय की गई भूमि पर अस्थायी निशेधाज्ञा जारी कर दी गई तो अप्रार्थी क्रम 7 को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन किया जाना सम्भव नही होगा। उभयपक्ष बहस प्रा0 पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0 पत्र के बिंदुओ को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है तथा जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी क्रय को उनके पिता रामनाथ से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से प्रार्थी का जन्म से ही विवादित भूमि में हक व हित उत्पन्न हो गया है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाकर पृथक बंटवारा कराने का कानूनी अधिकारी है। दौराने बाद विवादित भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित हो सकती है अप्रार्थी 1 ता 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विवादित भूमि में कब्जा काश्त नही होने तथा वाद–कारण उत्पन्न नही होने का कथन किया। यह भी कथन किय कि अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी व अन्य पुत्रों की शादी व अन्य सामाजिक कार्यक्रम में काफी खर्च व वह कर्ज के बोझ के तले दबा है। जब तक अप्रार्थी 1 द्वारा कर्ज नही चुकाया जा सकता तब तक प्रार्थी किसी प्रकार की भूमि की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने व भूमि विभाजन का अधिकारी नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। अप्रार्थी सं. 7 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित सम्पति प्रार्थी की पैतृक सम्पति नही होन से भूमि में किसी प्रकार का कोई हित निहित नही है अप्रार्थी 7 सद्भावी केता है जिसके जरिये विक्रय पत्र 0.48 है भूमि ख0न0 730 रकबा 2.36 है से दिनांक 1/11/2019 को क्रय किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी सं. 7 के पक्ष में भूमि का नामान्तरण दर्ज नही हो सका है। अप्रार्थी 7 का सदभावी केता होने से प्रथम दृश्ट्या मामला व सुविधा संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। भूमि पर अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की गई तो अप्रार्थी 7 को अपरिमित क्षति कारित होगी अतः प्रा. पत्र. खारिज किया जाये।

पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन तथा उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

0.31 हेक्टर बारानी प्रथम, ख0नं0 2603 की 0.21 हेक्टर तीर, ख0नं0 436 की 0.15 हेक्टर नहरी प्रथम, ख०न० 586 रकबा 3.53 है० नहरी प्रथम ख0नं0 730 की 2.36 हेक्टर नहरी प्रथम कुल किता 7 कुल रकबा 7.95 हेक्टर में प्रार्थी के हिस्से तक अप्रार्थीगण रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे। प्रार्थी के कब्ज काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे। किसी प्रकार से बेचान, दान, वसीयत आदि नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वय करे न ही अपने प्रतिनिधि से करावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा